

## कार्यालय जिला परिषद, नवादा।

### आम सूचना।

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, नवादा के निम्नांकित बस एवं वाहन पड़ाव/बाजार एवं सैरात का दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए दैनिक चुंगी वसूली हेतु दिनांक 03.02.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, नवादा स्थित विकास भवन, के सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा द्वारा बन्दोवस्ती की जायेगी।

निर्धारित तिथि को सभी सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 08.02.2014 एवं अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2014 को उक्त वर्णित समय एवं स्थान पर शेष सैरातों की बन्दोवस्ती पूरी की जायेगी। नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए जिला का वेबसाइट [www.nawada.bih.nic.in](http://www.nawada.bih.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

इच्छुक डाकवक्ता निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं डाक में भाग ले सकते हैं-

क	बस पड़ाव एवं टैक्सी/दैनिक बाजार की चुंगी का नाम	स्थल	अग्रधन की राशि	सुरक्षित जमा राशि
1	2	3	4	5
1	बस पड़ाव बुधौल, खाता नं0 252, खेसरा नं0 1101 रक्वा 4 एकड़	समाहरणालय विकास भवन, नवादा में	999120.00	9991200.00
2	बस पड़ाव सं0-3 नवादा, खाता नं0 236, खेसरा नं0 404 रक्वा 0.05 एकड़	"	575590.00	5755865.00
3	बस पड़ाव धमौल, खाता नं0 501, खेसरा नं0 442 रक्वा 0.05 एकड़	"	31485.00	314822.00
4	बस पड़ाव सिरदला, खाता नं0 656, खेसरा नं0 390 रक्वा 0.34 एकड़	"	69000.00	690000.00
5	बस पड़ाव रजौली, खाता नं0 29, खेसरा नं0 72 रक्वा 1.52 एकड़	"	230115.00	2301150.00
6	दैनिक चुंगी वसूली बाजार रजौली खाता नं0 255 खेसरा नं0 246, 223, 324 किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	"	53475.00	534750.00
7	दैनिक चुंगी वसूली बाजार पकरीबरावाँ खाता नं0 2614 खेसरा नं0 12803,12091,12092,13086,10599,10600 किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	"	18436.00	184357.00
8	बस पड़ाव हिसुआ खाता नं0 713, खेसरा नं0 803 रक्वा 94 डी0 किस्म हिसुआ नरहट रोड के बगल में	"	5000.00	50000.00

#### सामान्य शर्त :-

- (1) डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद, नवादा के पास मूल रसीद प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।
- (2) बन्दोवस्तधारी को बस पड़ाव एवं बाजार में दैनिक चुंगी की वसूली निर्धारित दर के अधीन करना होगा।
- (3) डाकवक्ता को डाक बोलने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्त्न आवासीय एवं चरित्र प्रमाण पत्र जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- (4) जिस डाकवक्ता के पास पूर्व से बकाया लंबित होगा। उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (5) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति के साथ एकरारनामा के पश्चात द्वितीय एवं शेष डाकवक्ता की अग्रधन राशि लौटा दी जाएगी।
- (6) डाकवक्ता को काली सुची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- (7) अद्योहस्ताक्षरी को बन्दोवस्ती को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह०/

उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद्, नवादा।